[21/12/2022]

परिशिष्ट - अ

प्रश्न सं. [क्र. 829]

प्रश्न क्र 829

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-2-3-2010-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर,—

(1) नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण तीस दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा; और

(2) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण नब्बे दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-2-3-2010-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-3-2010-सात-शा.6 दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

F.2-3-2010-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby confers the following powers upon all Gram Panchayats constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), within their respective jurisdiction, namely,—

(1) the powers of Tahsildar under section 110 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of mutation with the direction that such cases be disposed of within thirty days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar; and

(2) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of partition of holdings with the direction that such cases be disposed of within ninety days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SURESH KUMAR RAJAK, Dy. Secy.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग 4A, 4B,